भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-306
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

राज्य सरकारों द्वारा विद्युत संस्थापनाओं से
निरीक्षण प्रभार का उद्ग्रहण किया जाना

306. श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपालाः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) राज्य सरकारों द्वारा विद्युत संस्थापनाओं के परीक्षण एवं निरीक्षण के लिए निरीक्षण प्रभार उद्गृहीत किए जाने की पूर्व प्रथा को बहाल करने के मुद्दे की जांच कर रहा है तथा उसको अंतिम रूप दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक होगा;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि निरीक्षण प्रभार उद्गृहीत करने की पूर्व प्रथा को बंद किए जाने के कारण राज्य सरकारों को राजस्व की हानि हो रही है; और

(घ) कितनी राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से संपर्क किया है और इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा विद्युत संस्थापनाओं के लिए निरीक्षण प्रभार लगाने के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 19.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 306 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

*****

(क) और (ख): राज्य सरकारों द्वारा विद्युत संस्थापनाओं के परीक्षण एवं निरीक्षण के लिए निरीक्षण प्रभार लगाने के मामले की जांच केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) नहीं, अपितु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण कर रहा है।

(ग): ऐसे शुल्क लगाने के प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्यों पर कुछ वित्तीय भार पड़ सकता है। किंतु यह स्थिति उस समय लागू भारतीय विद्युत नियम, 1956, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निरीक्षण प्रभार लगाने का प्रावधान किया गया था, को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत नए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय), विनियम, 2010 तैयार किए जाने के पश्चात् 24 सितंबर, 2010 से निरस्त कर दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई है। तथापि, सीईए के नए विनियमों में शुल्क लगाने का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि कानून एवं न्याय मंत्रालय ने उपर्युक्त विनियम तैयार करते समय राय दी थी कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 में इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान के अभाव में विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिए 'शुल्क' प्रभारित करना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा और शुल्क लगाने के ऐसे प्रावधान के लिए अधिनियम में उपयुक्त संशोधन अपेक्षित होगा। सीईए द्वारा मामले की जांच की जा रही है ताकि विद्युत अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सरकार से सिफारिश की जा सके।

(घ): केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कर्नाटक सरकार ने दिनांक 17.9.2011 के अ0शा0 पत्र द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निरीक्षण के लिए शुल्क लगाने के मामले पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसका जवाब केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दे दिया गया था।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-309
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

बिहार में बिजली की कमी

***309. डा॰ अनिल कुमार साहनीः**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश का एक प्रमुख राज्य बिहार बिजली की कमी के गंभीर संकट से जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य के उद्योग तथा कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली की मात्रा कितनी है; और

(ग) बिहार में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

बिहार में विद्युत की कमी के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 19.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 309 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

*****

(क) बिहार में 2012-13 (फरवरी, 2013 तक) के दौरान ऊर्जा एवं व्यस्ततम कमी क्रमशः 16.5 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत थी ।

(ख) विद्युत एक समवर्ती विषय होने से, उद्योग और कृषि सहित विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति और वितरण का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/ राज्य की विद्युत यूटिलिटियों का होता है । भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना के द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है । इस समय बिहार को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से 1,836 मेगावाट तक का आबंटन किया गया है ।

(ग) भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में विद्युत की आपूर्ति सुधारने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(i) केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से बिहार को विद्युत आबंटन 1,264 मेगावाट (31 मार्च, 2008 के अनुसार) से बढ़ाकर 1,836 मेगावाट (28 फरवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार) किया गया है जोकि पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में सबसे अधिक है ।

(ii) बिहार को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति में पिछले वर्षों से वृद्धि हो रही है और बिहार को की गई केंद्रीय क्षेत्र ऊर्जा आपूर्ति 2008-09 में लगभग 8,400 मिलियन यूनिट(एमयू) से बढ़कर 2011-12 में 10,320 मिलियन यूनिट हो गई है ।

(iii) 12वीं योजना के दौरान चालू होने के लिए प्रस्तावित केंद्रीय क्षेत्र संयंत्रों से बिहार राज्य को मिलने वाला संभावित लाभ 1,447 मेगावाट है ।

(iv) इसके अतिरिक्त, बिहार को 1,980 मेगावाट की एनटीपीसी और बीएसईबी संयुक्त उद्यम परियोजना से 1,373.5 मेगावाट की प्राप्ति होगी ।

(v) योजना आयोग ने दो राज्य क्षेत्र/ संयुक्त उद्यम विद्युत संयंत्र अर्थात बरौनी टीपीएस यूनिट 6 एवं 7 (2 x 105 मेगावाट) और मुजफ्फरपुर यूनिट 1 एवं 2 (2 x 110 मेगावाट) के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 1,053 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं जिन्हें योजना आयोग के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत लिया गया है ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-310
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

पनबिजली उत्पादन का लक्ष्य

***310. श्री धीरज प्रसाद साहू:**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पनबिजली के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित निधियाँ कितनी–कितनी हैं तथा उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

....

विवरण

पन बिजली उत्पादन के लक्ष्य के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 19.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 310 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, संपूर्ण पंचवर्षीय योजना के लिए नहीं। तदनुसार, 12वीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात 2012-13 के लिए विभिन्न पारंपरिक हाइड्रो स्रोतों से 122.045 बिलियन यूनिट (बीयू) का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 114.048 बीयू के लक्ष्य की तुलना में फरवरी, 2013 तक 104.937 बीयू जल विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न परम्परागत हाइड्रो स्रोतों से उत्पादन लक्ष्य, अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 तक की अवधि के लिए यथानुपात लक्ष्य तथा उपलब्धि के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में हैं।

(ख) अधिक हाइड्रो विद्युत उत्पादन प्राप्त करने के लिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हाइड्रो विद्युत के लिए क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 10,897 मेगावाट निर्धारित किया गया है जिसके लिए लगभग 87,176 करोड़ रुपए के वित्तपोषण की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हाइड्रो उत्पादन लक्ष्य और क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) 12वीं योजना के दौरान 10,897 मेगावाट के लक्ष्य के साथ हाइड्रो उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तेजी लाना।

(ii) चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी।

(iii) 12वीं योजना के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम रूप में योजना बनाना।

(iv) विद्यमान उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, ताप, नाभिकीय और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन एवं अनुरक्षण।

(v) पुरानी तथा अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन-विस्तार।

(vi) उपलब्ध विद्युत का इष्टतम उपयोग करने के लिए अन्तर्राज्यीय और अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

(vii) देश में हाइड्रो विद्युत के विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से जल विद्युत नीति, 2008 शुरू की गई।

(viii) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मामलों सहित जल विद्युत के विकास से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए हाइड्रो परियोजना विकास पर कार्यबल का गठन।

(ix) पूर्वोत्तर में जल विद्युत के विकास को दिशा-निर्देशित एवं तेज करने के लिए उपयुक्त ढांचा को विकसित करने हेतु अन्तर्मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन।

(x) परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रो/ताप परियोजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र रूप से अनुवर्तन एवं निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना निगरानी पैनल की स्थापना।

*****

अनुबंध

जल विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 19.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 310 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

वर्ष 2012-13 के लिए हाइड्रो उत्पादन के राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धि (फरवरी, 2013 तक)

राज्य	2012-13	2012-13 (अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 तक)	
	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
हिमाचल प्रदेश	29,680	28,257	28,552
जम्मू व कश्मीर	12,436	11,500	11,422
पंजाब	4,852	4,527	4,698
राजस्थान	545	523	734
उत्तर प्रदेश	885	829	1,428
उत्तराखंड	11,845	11,087	11,550
छत्तीसगढ़	250	240	278
गुजरात	3,757	3,566	4,344
मध्य प्रदेश	5,773	5,334	6,659
महाराष्ट्र	5,379	4,858	4,935
आंध्र प्रदेश	8,187	7,565	3,045
कर्नाटक	12,205	11,253	8,839
केरल	6,909	6,212	4,216
तमिलनाडु	5,061	4,772	2,605
झारखण्ड	416	406	336
ओडिशा	5,497	5,109	3,912
पश्चिम बंगाल	1,324	1,234	1,091
सिक्किम	2,844	2,744	2,476
अरुणाचल प्रदेश	1,300	1,252	1,202
असम	1,450	1,390	1,067
मेघालय	775	751	761
नागालैंड	227	222	213
मणिपुर	448	417	572
कुल अखिल भारत	1,22,045	**1,14,048**	**1,04,936**

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-317
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

देश में पारेषण और वितरण संबंधी भारी हानि

317. श्री हुसैन दलवईः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में 104 हमारे देश में पारेषण और वितरण (टी एण्ड डी) संबंधी हानि बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) देश में पारेषण और वितरण संबंधी भारी हानि के लिए जिम्मेदार कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पारेषण और वितरण संबंधी हानि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए गए हैं और इनसे कितनी सफलता मिली है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

देश में पारेषण और वितरण संबंधी भारी हानि के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 19.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 317 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

*****

(क) और (ख): केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए पारेषण एवं वितरण हानियों के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं। संपूर्ण वर्ष 2010-11 के लिए देश की टी एंड डी हानियों की प्रतिशतता 23.97 है।

विश्व के अन्य देशों में आऊटपुट की प्रतिशतता के रूप में टी एंड डी हानियों का विवरण (विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में प्रकाशित) अनुबंध-II पर संलग्न है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की टी एंड डी हानियां विश्व के अन्य विकसित देशों में टी एंड डी हानियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हैं।

(ग): ऊर्जा हानियां उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने की प्रक्रिया में तकनीकी एवं वाणिज्यिक कारणों से होती हैं। तकनीकी हानियां विद्युत के पारेषण, ट्रांसफार्मेशन, उप पारेषण एवं वितरण हेतु प्रयुक्त कंडक्टरों तथा उपकरणों में ऊर्जा के बिखरे हुए रूप के कारण होती हैं। ये तकनीकी हानियां प्रणाली में निहित हैं तथा एक निश्चित स्तर तक घटाई जा सकती है। कुछ वाणिज्यिक हानियों के लिए छोटी चोरियां, खराब मीटर, मीटर रीडिंग एवं बिलिंग और ऊर्जा की मीटर रहित आपूर्ति के आकलन में त्रुटि तथा संग्रहण अकुशलता जिम्मेवार है जो तकनीकी हानियों के साथ मिलकर समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी व सी) हानियां कहलाती हैं।

(घ): विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। भारत सरकार उपभोक्ताओं को सुधरे ढंग से विद्युत उपलब्ध कराने के राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण करने में एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है।

राज्य यूटिलिटियों की एटी एंड सी हानियों को घटाने एवं विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार पुनर्गठित- त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की शुरूआत की है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 10,000) से अधिक आबादी वाले नगरों में दो भागों में शुरू की गई हैं। स्कीम का भाग-"क" बड़े शहरों (जनसंख्याः 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा इनपुटः 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखांकन/ लेखा परीक्षा और

पर्यवेक्षकीय नियंत्रण तथा आंकड़ा अधिग्रहण(स्काडा) हेतु सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणाली स्थापित करने के लिए है, जबकि भाग-ख परियोजना नगरों में विद्युत अवसंरचना के उन्नयन, संवर्द्धन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए है।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, अब तक 33,832.17 करोड़ रु0 की राशि की परियोजनाएं(भाग-कः 1401 नगरों तथा 65 नगरों में 65 स्काडा परियोजनाओं को कवर करते हुए 6713.08 करोड़ रु0, भाग-खः 1134 नगरों में 27,119.09 करोड़ रु0) स्वीकृत की गई हैं।

बिजली की चोरी पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003 में चोरी का पता लगाने, चोरी संबंधी अपराधों की तेजी से सुनवाई किए जाने तथा चुराई गई बिजली के प्रभारों की वसूली के लिए भी विशिष्ट प्रावधानों को शामिल किया गया है। भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 एवं धारा 151 में संशोधन करते हुए इस अपराध को संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध के रूप में धारा 135-140 तथा धारा 150 के अंतर्गत दंडनीय बनाया है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) के अध्याय-XII के अनुरूप शक्तियां प्रदान की गई हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1) के अंतर्गत प्रावधानों (घ) और (ड.) को जोड़ते हुए छेडछाड़ किए गए मीटरों के प्रयोग तथा विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोजन के लिए प्रयोग को कवर करने के लिए धारा 135 के अंतर्गत चोरी की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। विद्युत अधिनियम में विद्युत की चोरी के अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए धारा 153 के अंतर्गत, राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है।

भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2008 में आर-एपीडीआरपी स्कीम राज्य यूटिलिटियों की एटी एंड सी हानियां कम करने और विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएफसी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर एटी एंड सी हानियां वर्ष 2002-03 में 36.64% से घटकर 2010-11 में 26.15% रह गई हैं। आर-एपीडीआरपी स्कीम अभी भी कार्यान्वयनाधीन है और स्कीम के भाग-क के तहत 291 शहरों को डाटा सेंटर के साथ एकीकृत किया जा चुका है। प्रारंभिक मूल्यांकन इन शहरों में एटी एंड सी हानियों में औसतन 6 से 7% की कमी दर्शाते हैं।

****

अनुबंध-।

राज्य सभा में दिनांक 19.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 317 के उत्तर के भाग (क) में निर्दिष्ट विवरण

प्रतिशत ट्रांसफार्मेशन, पारेषण एवं वितरण हानियां(अगणित ऊर्जा सहित)

क्षेत्र		*राज्य/संघ शासित क्षेत्र*	2008-09	2009-10	2010-11
उ.क्षे	1	हरियाणा	30.74	31.00	29.66
	2	हिमाचल प्रदेश	15.51	20.52	22.22
	3	जम्मू व कश्मीर	58.02	67.35	63.27
	4	पंजाब	23.08	23.39	25.10
	5	राजस्थान	31.47	29.99	27.87
	6	उत्तर प्रदेश	30.94	33.15	34.01
	7	उत्तराखंड	41.79	25.27	29.97
	8	चंडीगढ़	22.36	23.19	20.25
	9	दिल्ली	22.22	22.09	20.04
प.क्षे.	1	गुजरात	24.07	22.77	19.24
	2	मध्य प्रदेश	38.46	38.32	37.62
	3	छत्तीसगढ़	26.38	18.62	15.06
	4	महाराष्ट्र	23.88	25.16	20.68
	5	दादर व नागर हवेली	15.57	11.22	10.14
	6	गोवा	17.12	16.99	15.27
	7	दमव व दीव	20.06	17.19	16.83
द.क्षे.	1	आंध्र प्रदेश	19.56	18.37	16.59
	2	कर्नाटक	17.03	18.76	17.34
	3	केरल	13.16	19.59	18.29
	4	तमिलनाडु	18.14	18.41	13.47
	5	लक्षद्वीप	24.87	11.59	25.65
	6	पुड्डुचेरी	12.24	11.84	12.41
पू.क्षे.	1	बिहार	46.37	43.58	50.77
	2	झारखंड	24.27	22.24	17.07
	3	ओडिशा	42.65	37.00	42.47
	4	सिक्किम	38.80	39.01	33.67
	5	पश्चिम बंगाल	16.79	18.33	22.40
	6	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	24.16	19.76	20.68
पूर्वो क्षे.	1	असम	37.59	32.82	34.17
	2	मणिपुर	63.37	54.66	50.87
	3	मेघालय	37.45	39.06	35.77
	4	नागालैंड	58.30	56.91	48.24
	5	त्रिपुरा	35.78	35.55	27.36
	6	अरुणाचल प्रदेश	46.88	48.04	47.12
	7	मिजोरम	52.70	53.80	45.63

अखिल भारत	25.47	25.39	23.97

स्रोतः सीईए(सामान्य समीक्षा)

अनुबंध-।।

राज्य सभा में दिनांक 19.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 317 के उत्तर के भाग (क) में निर्दिष्ट विवरण

विश्व के विभिन्न देशों में आऊटपुट की प्रतिशतता के रूप में पारेषण एवं वितरण हानियां

देश का नाम	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	2009
अर्जेन्टीना	15	15	15	16	13	15
आस्ट्रेलिया	6	7	7	7	7	7
आस्ट्रिया	5	5	6	6	5	5
बांग्लादेश	9	8	7	7	5	2
बेल्जियम	5	5	5	5	5	5
ब्राजील	17	17	17	16	17	17
बुलगारिया	12	11	11	11	10	11
कनाडा	7	7	8	8	8	8
चीन	6	7	6	6	6	5
कोलंबिया	19	19	19	20	19	15
चैक गणराज्य	6	6	6	6	6	5
डेनमार्क	4	4	3	5	6	6
मिस्र अरब गणराज्य	12	16	11	11	11	11
फिनलैंड	3	4	4	4	4	4
फ्रांस	6	6	6	6	6	6
जर्मनी	6	5	5	5	5	4
ग्रीस	9	9	8	8	8	5
हंगरी	12	11	11	10	10	10
भारत	26	25	25	25	23	24
इंडोनेशिया	13	12	11	11	10	10
ईरान इस्लामिक गणराज्य	17	19	19	19	18	40
इजराइल	3	3	3	3	2	3
इटली	7	7	6	7	7	7
जापान	5	5	5	5	5	5
कजाकिस्तान	16	10	9	10	9	8
कोरिया गणराज्य	16	4	4	4	4	4
मलेशिया	5	4	1	2	3	4
मैक्सिको	16	16	16	16	17	16
नेपाल	19	20	21	22	19	31
नीदरलैंड	4	4	5	4	4	4
न्यूजीलैंड	13	7	7	7	7	7
नार्वे	8	7	8	7	7	8
पाकिस्तान	25	24	22	19	21	20
पौलैंड	9	9	9	9	8	8
रोमानिया	11	10	10	11	11	12
रूसी संघ	12	12	11	10	11	11
सऊदी अरब	7	11	11	10	11	8
दक्षिण अफ्रीका	6	6	9	8	9	10
स्पेन	9	9	5	5	5	3
श्रीलंका	17	15	16	16	11	15
स्वीडन	7	7	8	7	7	7
स्विजरलैंड	6	7	7	6	6	6
थाइलैंड	8	8	8	6	6	6
टर्की	15	15	14	14	14	15
यूक्रेन	15	13	12	12	12	12
यूनाइटेड किंगडम	8	8	7	7	7	7
यूनाइटेड इस्टेट्स	6	6	6	6	6	6
उजबेकिस्तान	9	9	9	9	9	9

वेनजुएला आरबी	27	25	26	27	28	27

स्रोतः वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स(विभिन्न वर्षों के लिए)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2468
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत मंत्रियों का छठा वार्षिक सम्मेलन

2468. श्री नंद कुमार सायः

श्री मोहम्मद अली खानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत मंत्रियों का छठा वार्षिक सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में विचारित मुद्दों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर ग्रिड से नहीं जुड़े उपभोक्ताओं को सस्ती तथा पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा सुझाए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य के विद्युत मंत्रियों ने विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन समस्याओं के समाधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- जी, हां ।

(ख)से(ङ)- राज्य विद्युत मंत्रियों का छठा वार्षिक सम्मेलन 05.02.2013 को आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में हुइ चर्चा में अन्य बातों पर चर्चा के साथ-साथ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई), कार्यान्वयन मामले पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी), राष्ट्रीय विद्युत निधि, वित्तीय पुनर्गठन योजना, विद्युत प्रापण, पारेषण प्रणाली आयोजना और कार्यान्वयन, सुरक्षित ग्रिड प्रचालन और मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) और ऊर्जा दक्षता (ईई) शामिल थे ।

(च)- विस्तृत चर्चा के पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकार किया गया, जिसकी प्रति **अनुबंध** में संलग्न है ।

....

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 19.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 2468 के भाग (च) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

****

दिनांक 05.02.2013 को आयोजित हुए राज्यों और केंद्र के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किए गए संकल्प

दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोजित हुए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत मंत्रियों के छठे सम्मेलन में उपभोक्ताओं को वहनीय और पर्याप्त बिजली मुहैया कराने और सभी उपभोक्ताओं, विशेष रूप से उन आवासों, जो ग्रिड के साथ नहीं हुए हैं, में बिजली पहुँचाने से संबंधित अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया । राज्य विद्युत मंत्रियों ने विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली ईंधन की अनश्चितता की स्थिति पर चिंता जताई और स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करके और उपयुक्त नीतिगत ढांचे का सृजन करके कोयला और गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया । इस बात पर जोर दिया गया कि ताप विद्युत द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को बनाए रखने के लिए और त्वरित क्षमता वृद्धि करने के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । सीआईएल द्वारा की गई वचनबद्धता के अनुसार कोयले की मात्रा की उपलब्धि के बिना विद्युत क्षेत्र का भविष्य अत्यंत धुंधला और अनिश्चित दिखाई दे रहा है । यह सभी पणधारियों के लिए भारी चिंता का विषय है, जिसे शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है । यह न केवल विद्युत क्षेत्र की श्रृंखला उत्पादन, पारेषण और वितरण के महत्व को प्रभावित करेगा, अपितु वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र को दी गई धनराशि मुहैया कराने को भी प्रभावित करेगा । इस बात पर विचार किया गया कि इसका वितरण क्षेत्र की वित्तीय अवस्था पर और सभी उपभोक्ताओं को सतत् रूप से बिजली मुहैया कराए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार के प्रयासों पर शीघ्र प्रभाव पड़ता है, राज्य विद्युत मंत्रियों ने, विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार को प्राधिकृत किया कि अपर्याप्त कोयला आपूर्ति का मुद्दा उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शीघ्र हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जाए ।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया कि राज्य और केंद्र सभी को बिजली मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करना जारी रखेंगे और निम्नलिखित संकल्प किए गए-

सभी के लिए बिजली की पहुँच

आरजीजीवीवाई

1. राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी आरजीजीवीवाई ग्रामों को विद्युतीकरण के 3 महीने के अंदर ऊर्जाकृत बनाया जाएगा ।

2. राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि डीडीजी कार्यों सहित आरजीजीवीवाई के अंतर्गत पहले से ही अनुमोदित ग्रामीण विद्युतीकरण का शेष बचा हुआ कार्य दिसंबर, 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा ।

3. राज्य सरकारें, आरजीजीवीवाई क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 6 से 8 महीने के लिए गुणवत्ता बिजली की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगी ।

4. राज्य सभी विद्युतीकृत तथा गैर-विद्युतीकृत आवासों का डाटाबेस तैयार करेंगे ताकि, 12वीं योजना के दौरान उनके विद्युतीकरण हेतु विचार किया जा सके । इन गांवों को आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्रस्तावित करने के पूर्व,

राज्य सुनिश्चित करेंगे कि समुचित योजना बनाई गई है तथा बैक-अप पारेषण तथा वितरण प्रणाली बनाने तथा सुदृढ़ करने हेतु संसाधन आबंटित किए गए हैं ।

आरएपीडीआरपी

5. राज्य सरकारें सभी स्वीकृत भाग-ख परियोजनाओं के संविदा अभिकरणों की नियुक्ति करने के कार्य अगले 6 महीनों में पूरा किया जाना सुनिश्चित करेंगी ।

6. राज्य आर-एपीडीआरपी का त्वरित कार्यान्वयन करेंगे ताकि, दसंबर 2013 तक भाग-"क" के अंतर्गत सभी नगरों को एकीकृत किया जा सके और मार्च, 2014 तक स्वीकृत भाग-ख कार्य का कम से कम 60% कार्य पूरा कर लिया जाएगा ।

7. राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि आंकड़ा केंद्र के साथ एकीकृत किए नगरों में आर-एपीडीआरपी के भाग-क के पूरा हो जाने के बाद अगले छः महीनों में कम से कम 3% एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए प्रशासनिक उपाय करेंगे और इसके बाद ऐसे नगरों में एक वर्ष में एटी एंड सी हानियों में 5% तक की कटौती करने का संकल्प किया गया ।

वितरण क्षेत्र में सुधार

8. राज्य सरकारे यह सुनिश्चित करेंगी कि 2011-12 तक की युटिलिटियों के लेखों की लेखा परीक्षा कर ली जाती है और मार्च, 2013 तक लेखों को अंतिम रूप दे दिया जाता है और यह भी कि भविष्य में कंपनी अधिनियम के अनुसार वित्तीय वर्ष के लेखों की आगामी वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक लेखा परीक्षा कर ली जाती है।

9. राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि डिस्काम्स बहु-वर्षीय प्रशुल्क याचिका दायर करते हैं और एसईआरसी राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति के अनुसार बहु-वर्षीय प्रशुल्क घोषित करते हैं ।

10. डिस्कामों को टीओडी प्रशुल्क और मीटरिंग कार्यान्वित करने के लिए रोड मैप तैयार करना होगा; इसे अगले छह महीनों में एसईआरसी को प्रस्तुत करना होगा और इसे प्रोत्साहन देने के लिए उपयुक्त प्रशुल्क ढांचे के लिए आदेश प्राप्त करने होंगे ।

11. राज्य सरकारों को पावर युटिलिटियों के लेखों का कंप्यूटरीकरण करने के लिए तैयार की गई एक समयबद्ध कार्य योजना प्राप्त करनी होगी, यदि पहले नहीं तैयार किया गया हो और इसे तीन महीनों के अंदर विद्युत मंत्रालय को भेजना होगा और इसका कार्यान्वयन प्राथमिकता पर करना होगा ताकि, कंप्यूटरीकरण के कार्य को मार्च, 2014 तक पूरा किया जा सके ।

12. राज्य सरकारों को मार्च, 2013 तक युटिलिटियों को बकाया सब्सिडी को क्लियर करना होगा और यह भी सुनश्चित करना होगा कि सरकारी विभागों और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्थानीय निकायों के सभी बकाया बिजली बिलों का भुगतान मार्च, 2013 तक कर दिया जाता है अथवा राज्य बजट से सीधे भुगतान कर दिया जाता है ।

13. राज्य सरकारें, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय विद्युत निधि का लाभ उठाने के लिए स्कीमें तैयार करेंगी ।

विद्युत प्रापण

14. राज्य, मामला-I निविदा के माध्यम से अगले छह महीनों के अंदर विद्युत की मांग में अंतर को पूरा करने के लिए विद्युत की प्राप्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करेंगे ।

15. राज्य सरकारें सर्वकालिक उत्पादन और पारेषण अवसंरचना शामिल करते हुए योजनाएं तैयार करेंगी और दीर्घावधि/मध्यावधि के अंतर्गत अपनी आवश्यकता की लगभग 90% विद्युत प्राप्त करेंगी तथा अल्पकालिक बाजार से केवल अनिश्चित मांगों को पूरा करेंगी ।

योजनाबद्ध और सुरक्षित पारेषण प्रणाली

16. राज्य अंतर-राज्य पारेषण और उप-पारेषण प्रणालियों की योजना बनाने, निर्माण करने एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिए संकल्प करेंगी ताकि उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए सुगम बनाया जा सके ।

17. राज्य वार्षिक पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ताकि, वर्ष के लिए निर्धारित पारेषण क्षेत्र के राज्य लक्ष्यों को पूरा किया जा सके ।

18. सभी राज्य पारेषण लाइनों के प्रवाह को नियंत्रित करेंगे और अधिक निकासी को रोकेंगे । इससे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी राज्य इकाइयों द्वारा ग्रिड मानकों और ग्रिड संहिता का अनुपालन किया जाता है । एसएलडीसी, इसकी गहन निगरानी करने के लिए निर्देश देंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत ग्रिड अनुपालन करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

19. राज्य सरकारें, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय ग्रिडों के एकीकृत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रक्षा योजनाएं और सुरक्षा प्रणालियाँ बनाएंगी । राज्यों की रक्षा योजनाओं में लोड शेडिंग के लिए आइलैंडिंग प्रणालियां, कम फ्रिक्वेंसी रिले, फ्रिक्वेंसी रिले में परिवर्तन की दर, विशेष सुरक्षा स्कीमें और स्वचालित मांग प्रबंधन स्कीमें शामिल हैं, जिसके लिए राज्य अपेक्षित सुरक्षा प्रणालियाँ, स्थापित करेंगे । प्रणाली सुरक्षा स्कीमें बनाएंगे और ग्रिड पारेषण की सुरक्षा करने के लिए अन्य उपकरणों का रख-रखाव करेंगे । रक्षा योजनाओं में पुनः प्रापण प्रक्रियाएं भी शामिल होंगी, जिन्हें नियमित रूप से अद्यतित किया जाएगा और समीक्षा की जाएगी ।

20. राज्य सरकारें, स्टेट लोड डिस्पैच केंद्रों का सदृढ़ीकरण करने और सिस्टम आपरेटरों की क्षमता निर्माण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी ।

ऊर्जा दक्षता शुरूआतें

21. राज्य सरकारें वर्ष 2013-14 के अंदर ईसीबीसी कोड अपनाएंगी ।

22. राज्य सरकारें एक समर्थ वातावरण सृजित करेंगी ताकि, स्टेट युटिलिटियों द्वारा उन्हें सौंपे गए पैट लक्ष्य 2014-15 तक प्राप्त कर लिए जाएं ।

23. राज्य सरकारें, बीईई 4 स्टार रेटिड उत्पाद के ऊर्जा निष्पादन मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए नए कृषि पंप सैट लगाने के लिए अधिसूचना जारी करेंगी और ऐसी क्रियाविधि लागू करेंगी ताकि राज्य में मौजूदा राज्य/केंद्रीय स्तर के पंप सैटों की संवर्धन स्कीमों के प्रचालन में स्टार रेटिड ऊर्जा दक्षता पंप सैटों को एकीकृत किया जा सके ।

24. राज्य, नई नई क्रियाविधियों द्वारा राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) का इस्तेमाल करेंगे ।

25. राज्य अपने डिस्काम्स में मांग पक्ष प्रबंधन कक्ष स्थापित करेंगे, यदि अभी तक नहीं किए गए हों, ताकि राज्य नामित अभिकरण के साथ ऊर्जा संरक्षण उपायों को समन्वित किया जा सके । उन्होंने आगे यह भी संकल्प लिया कि जून 2013 तक अपने राज्यों में डीएसएम के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली जाएगी ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2469
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की नियमित आपूर्ति

†**2469. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रालय को संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र बिरसिंहपुर हेतु ''ए'' और ''बी'' श्रेणी का कोयला प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र को ''ए'' और ''बी'' श्रेणी का कोयला नियमित प्रदान करने पर मध्य प्रदेश की राज्य सरकार और मंत्रालय ने कोटे पर विचार किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार इन विद्युत गृहों को नियमित रूप से चलाने के लिए राज्य सरकारों के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) इस संबंध में कितनी छूट दिए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : कोयला आपूर्ति के वर्तमान स्रोतों के युक्तीकरण पर संयुक्त सचिव (एल.ए.), कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र, बिरसिंहपुर मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी (एमपीजीसीएल) को ए और बी ग्रेड के कोयले की आपूर्ति को सीमित करने और तदनुसार साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) से सी/डी ग्रेड के कोयले की मात्रा के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। तथापि, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अभिव्यक्त किए गए अनुसार सी/डी ग्रेड के कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण, इस प्रयोग के लिए गठित समिति द्वारा एमपीजीसीएल के साथ सहमति नहीं हो सकी ।

जहाँ तक संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र बिरसिंहपुर के लिए कोयले की आपूर्ति का संबंध है, एमपीजीसीएल ने एसईसीएल के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे और तदनुसार उन्हें कोयले की आपूर्ति की जा रही है ।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2470
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

दुमागुड्डम जल विद्युत केन्द्र

2470. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डीः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दुमागुड्डम जल–विद्युत केन्द्र से 368 मेगावाट जल–विद्युत का उत्पादन करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आस्ट्रेलियाई कम्पनी के साथ किए गए समझौते का विद्युत उत्पादन क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित अनेक लोग विरोध कर रहे हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना को आस्ट्रेलियाई कंपनी को सौंपे जाने के निर्णय के पीछे क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय से इस उद्देश्यार्थ अनुमोदन लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ)- विद्युत मंत्रालय के पास आंध्रप्रदेश में दुम्मागुडम जल विद्युत परियोजना से विद्युत का उत्पादन करने के लिए आस्ट्रेलियाई कंपनी और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच किसी समझौते की सूचना नहीं है । तथापि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए), जिसकी सहमति किसी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक है, में उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार इस परियोजना की स्थिति नीचे दी गई हैः

आंध्र प्रदेश सरकार से दिनांक 25.02.2006 के पत्र द्वारा 319.56 मेगावाट(6न्50.8अ1न्14.76 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता वाली दुम्मागुडेम एचईपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) सहमति प्रदान करने के लिए सीईए में प्राप्त हुई थी। डीपीआर की जाँच की गई और विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियां आवश्यक कार्रवाई हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को भेज दी गयी थी ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2471

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

छत्तीसगढ़ में पुराने ताप विद्युत संयंत्र

†**2471. डा॰ भूषण लाल जांगडेः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, (एन॰टी॰पी॰सी॰) कोरबा छत्तीसगढ़ का एक न एक ताप विद्युत संयंत्र बिगड़ा रहता है, कभी–कभी तीन से अधिक ताप विद्युत संयंत्र बंद हो जाते हैं,

(ख) निकट भविष्य में पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के बंद हो जाने की स्थिति में उनके स्थान पर नए ताप विद्युत संयंत्र के स्थापित किए जाने की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोरबा एन॰टी॰पी॰सी॰ से निकलने वाली राख के एकत्रीकरण की पद्धति से अनेकों दुर्घटनाएं हो रही हैं; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को टालने हेतु राख एकत्र करने की नई पद्धति अपनाए जाने के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : एनटीपीसी के कोरबा, छत्तीसगढ़ स्थित स्टेशन की कुल संस्थापित क्षमता 2600 मेगावाट है और इसकी 07 यूनिटें (3x 200 मेगावट + 4x500 मेगावट) हैं। योजनाबद्ध रख-रखाव के लिए यूनिटों को सामान्य तौर पर बारी-बारी से शटडाउन किया जाता है। तथापि, यदाकदा अप्रत्याशित जबरन बंदी के कारण एक से अधिक यूनिट को भी शटडाउन करना पड़ता है। वर्ष 2012-13 (फरवरी, 2013 तक) के दौरान एक योजनाबद्ध एवं जबरन सहित शटडाउन की कुल अवधि 5.06 प्रतिशत थी और किसी भी समय तीन से अधिक यूनिटों को एक साथ शटडाउन नहीं किया गया था।

(ख) : वर्तमान में पुरानी यूनिटों/स्टेशनों को बंद करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि ये यूनिटें अधिक उपलब्धता पर प्रचालित की जा रही हैं।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

....

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2472
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

निजी विद्युत कम्पनियों द्वारा परिसम्पत्तियों की

बिक्री किया जाना

2472. श्री डी॰ पी॰ त्रिपाठीः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि निजी विद्युत कम्पनियां अपनी परिसम्पत्तियों को बेचने की योजना बना रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी विद्युत कम्पनियों के वित्तीय संकट के क्या–क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : किसी निजी विद्युत कंपनी द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री किया जाना कंपनी का वाणिज्यिक फैसला होता है और सरकार/विद्युत मंत्रालय की इस मामले में कोई भूमिका नहीं होती है। विद्युत मंत्रालय के पास किसी निजी विद्युत कंपनी के वित्तीय संकट के बारे में कोई सूचना नहीं है।

....

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2473
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

पंजाब द्वारा राजस्थान को कम विद्युत की आपूर्ति किया जाना

†**2473. श्री अश्क अली टाकः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य को पंजाब राज्य के साथ समय–समय पर हुए जल विद्युत समझौतों के तहत निर्धारित मात्रा से कम बिजली दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने विद्युत की बिक्री के लिए राजस्थान के साथ कोई समझौता/व्यवस्था नहीं की है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

....

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2474
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

तमिलनाडु को अधिशेष विद्युत के आबंटन के लिए कारीडोर

†**2474. डा॰ वी॰ मैत्रेयनः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में बिजली की भीषण कमी की जानकारी है और इस संकट को आंशिक रूप से दूर करने हेतु तमिलनाडु को अतिरिक्त विद्युत आवंटित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य राज्यों से तमिलनाडु को अपने अधिशेष विद्युत को पुनः आवंटित करने और ऐसे विद्युत के उपयोग हेतु प्राथमिकता आधार पर आवश्यक कारीडोर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : तमिलनाडु में अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततम कमी क्रमशः 14,542 एमयू (17.4%) और 1553 मेगावाट (12.3%) थी।

गैर-आबंटित विद्युत की मात्रा सीमित होने और किसी भी समय पर सीमित की गई और पूरी तरह से आबंटित होने के कारण, किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आबंटन में वृद्धि केवल दूसरे राज्य (राज्यों)/संघ राज्य क्षेत्र (क्षेत्रों) के आबंटन में बराबर की कमी करने पर ही संभव है। चूंकि सीजीएसएस से अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध तमिलनाडु सहित विद्युत कमियों का सामना कर रहे विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए हैं, इसलिए तमिलनाडु को दूसरे अन्य राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी राज्य, कर्नाटक और केरल जोकि

ऊर्जा और व्यस्ततम कमियों का सामना कर रहे हैं, के आबंटन में बराबर की कटौती किए बिना अतिरिक्त विद्युत का आबंटन संभव नहीं है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में व्यस्ततम कमी क्रमशः 19.2% और 13.5% है जो कि तमिलनाडु की तुलना में कहीं अधिक है।

तमिलनाडु में, राज्य क्षेत्र में मैट्टूर एक्सटेंशन यूनिट-1 (600 मेगावाट), नॉर्थ-चेन्नई एक्सटेंशन यूनिट-2 (600 मेगावाट) और भवानी कट्टालई-III यूनिट-1 (15 मेगावाट) और निजी क्षेत्र में तूतीकोरिन यूनिट-1 (150 मेगावट को चालू किए जाने के साथ विद्युत में कमी होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु को एनटीपीसी के केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से अर्थात 28 फरवरी, 2013 को चालू की गई वैल्लुर टीपीपी फेज-I यूनिट-2 (500 मेगावट) से भी लाभ मिलेगा।

(ग) और (घ) : इससे पहले कि भारत सरकार दिल्ली द्वारा सौंपी गई अधिशेष विद्युत को आबंटित कर पाती, तमिलनाडु सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा सौंपी गई संपूर्ण विद्युत के पुनः आबंटन के लिए एक वाद दायर कर दिया गया। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है, इसलिए इस स्थिति में अन्य राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अधिशेष विद्युत का पुनःआबंटन संभव नहीं है।

....

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2475
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

कृष्णगंगा जलविद्युत परियोजना

2475. श्री टी॰ के॰ रंगराजनः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कानूनी विवाद के कारण कृष्ण गंगा जलविद्युत परियोजना के शुरू होने में कानूनी लड़ाई से देरी होने के परिणामस्वरूप इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों को विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और इससे क्या–क्या लाभ होंगे?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क), (ख) और (ग) : जी, नहीं, क्योंकि किशनगंगा जल विद्युत परियोजना को केवल 2016-17 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

परियोजना 90% विश्वसनीय वर्ष में 1350 एमयू का ऊर्जा उत्पादन करेगी। इस परियोजना की संस्थापित क्षमता 330 मेगावाट है।

....

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2476
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

एन॰टी॰पी॰सी॰ लिमिटेड में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निपटान हेतु लम्बित आवेदन

2476. श्री सालिम अन्सारीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एन॰टी॰पी॰सी॰ लिमिटेड के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन कुछ आवेदन ''अपील'' के अधीन लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो उन आवेदनों का ब्यौरा क्या है, जिनका आवेदकों द्वारा अनुस्मारकों को भेजने के बावजूद निपटान नहीं किया गया है; और

(ग) ''अपील'' के अधीन सभी आवेदनों के तत्काल निपटान हेतु क्या–क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

....

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2477
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण

2477. श्री डी॰ पी॰ त्रिपाठीः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायेगी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)- सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2012-13 के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत 6,000 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने और बीपीएल घरों को 35 लाख निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । 28.2.2013 की स्थिति के अनुसार, वित्त वर्ष 2012-13 में 2198 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा 11,66,262 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं । चालू वर्ष 2012-13 के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत धीमी प्रगति होने के निम्नलिखित कारण हैं-

(i) अति दुर्गम स्थान, खराब मौसम तथा पहुँचने में समस्या, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों, तथा जम्मू एवं कश्मीर में ।

(ii) झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में कानून एवं व्यवस्था संबंधी गंभीर समस्याएं ।

(iii) संविदा संबंधी मुकदमें जैसे कि मणिपुर में उखरूल तथा सेनापति जिलों में, माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी में लंबित

(ग)- आरजीजीवीवाई के अंतर्गत देश में गांवों के विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(i) विद्युत मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा डिस्काम से आग्रह किया है कि परियोजना कार्यान्वयन को तेजी से किए जाने में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए ।

(ii) भारत सरकार ने अंतर-मंत्रालयी प्रबोधन समिति का गठन किया है जो परियोजनाएं संस्वीकृत करने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक करती है ।

(iii) सभी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए जिला समितियों का गठन किया गया है ।

(iv) राज्यों से आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन की बाधाओं का हल निकालने के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में मासिक बैठक करना अपेक्षित है ।

(v) भारत सरकार, तथा आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) सहमत-कार्यक्रम के अनुसार स्कीम के तीव्र कार्यान्वयन के लिए सभी पणधारियों; संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बार-बार समीक्षा बैठकें करती हैं ।

(vi) माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने दिनांक 6 दिसंबर, 2012 के पत्र संख्या क्यू-13018/11/09-वीएमसी के द्वारा जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठकों में नियमित कार्य सूची के तौर पर "आरजीजीवीवाई की समीक्षा" के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया है ।

(vii) माननीय विद्युत मंत्री ने सभी माननीय संसद सदस्यों को पत्र लिखकर उनके संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जहां आरजीजीवीवाई कार्य चल रहे हैं, की प्रगति दर्शाते हुए कहा है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें । उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्तर पर परियोजनाओं का प्रबोधन करें तथा इस पर जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठकों में जन प्रतिनिधियों तथा साथ ही साथ जिलाकर्मियों की उपस्थिति में चर्चा भी करें ताकि प्रगति को प्रभावित करने वाले मुद्दों का तीव्रता से समाधान हो सके ।

(viii) जहां वन स्वीकृति/रेलवे स्वीकृति आदि के विलंब के कारण अंतर-मंत्रालयी मध्यस्थता की आवश्यकता है, वहां संबंधित मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के साथ विभिन्न स्तरों पर मामले को उठाया जाता है ताकि आवश्यक स्वीकृति के मामलों में तेजी से कार्रवाही की जा सके ।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2478
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

राज्यों को बिजली का आवंटन

2478. श्री थावर चन्द गहलोतः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को आवंटित की जाने वाली बिजली हेतु क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार और राज्य–वार मापदण्ड के अनुसार विभिन्न राज्यों को आवंटित बिजली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कई राज्यों को आवंटित कोटे से कम बिजली मिल रही है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्यों को बिजली के आवंटन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से लाभप्राप्तकर्ता राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत का आवंटन, निर्धारित फार्मूले के अनुसार किया जाता है, जिसे अप्रैल, 2000 से दिशानिर्देशों के रूप में माना जा रहा है । इन दिशानिर्देशों के अनुसार, तात्कालिक/समग्र माँग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आवंटन हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत का आवंटन दो भागों, अर्थात 85% के निश्चित आवंटन और 15% अनावंटित विद्युत के रूप में किया जाता है । निश्चित आवंटन में प्रभावित राज्यों को 12% निःशुल्क विद्युत का आवंटन और जल विद्युत स्टेशनों के मामले में स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% और तापीय और न्यूक्लीयर विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% (निःशुल्क नहीं) विद्युत का आवंटन शामिल है । शेष 72% / 75% विद्युत का वितरण, पिछले पाँच वर्षों के दौरान केन्द्रीय योजना सहायता और ऊर्जा उपभोग के पैटर्न के अनुसार क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच किया जाता है, जिनमें दोनों कारकों का समान महत्व है ।

केन्द्रीय योजना सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया गया है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा गया है । संयुक्त जोखिम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी अंशदाता राज्य को उसके इक्विटी अंशदान के अनुसार निश्चित आवंटन का लाभ प्राप्त होता है ।

केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आवंटन के लिए ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश उत्पादन स्टेशनों पर लागू होते हैं, जिनके लिए 5 जनवरी, 2011 तक पीपीए हस्ताक्षरित किए गए हैं, जो वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार के लिए भी लागू किए जाते हैं । 5 जनवरी, 2011 के पश्चात, विद्युत प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली के माध्यम से वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों द्वारा प्राप्त की जाएगी । एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं में, केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 2011 में गत पाँच वर्षों के लिए क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा केन्द्रीय योजना सहायता और ऊर्जा उपभोग को समान महत्व देते हुए विद्युत के आवंटन पर विस्तृत दिशानिर्देशों के आधार पर गृह राज्य को 50% विद्युत, भारत सरकार के निर्णय से 15% अनावंटित विद्युत और उस क्षेत्र के अन्य घटकों (गृह राज्य को छोड़कर) को 35% आवंटन को अनुमोदन प्रदान किया था । न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन की नई परियोजनाओं के संबंध में भी जनवरी, 2011 से सरकार द्वारा इसी प्रकार के वितरण की व्यवस्था की गई है ।

(ख) : गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से आवंटित विद्युत का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

(ग) और (घ) : प्रतिशतता के रूप में आवंटित कोटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और राज्य आवंटित कोटे के अनुसार विद्युत प्राप्त करते हैं । किसी दिए गए विशिव्ट समय पर विद्युत की उपलब्धता विद्युत स्टेशनों की घोषित क्षमता पर निर्भर करती है जो आयोजित अनुरक्षण, फोर्सड आऊटेज, ईंधन की उपलब्धता, नदी/जलाशय में जल प्रवाह, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण आदि पर निर्भर करता है ।

(ङ) : सीजीएस में 15% अनावंटित विद्युत जिसे केन्द्र सरकार के निर्णय पर छोड़ा गया है, की समय-समय पर समीक्षा एवं संशोधन किया जाता है जिसमें तात्कालिक और मौसमी स्वरूप की माँग, संगत विद्युत आपूर्ति की स्थिति, उपलब्ध विद्युत संसाधनों के उपयोग, प्रचालन और भुगतान निष्पादन आदि को ध्यान में रखा जाता है ।

विद्युत का आवंटन केवल वर्तमान परियोजनाओं, वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार, और परियोजनाएं जिनके लिए 5 जनवरी, 2011 तक पीपीए हस्ताक्षरित किए गए हैं, के लिए ही होगा । अन्य परियोजनाओं के लिए विद्युत प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली के माध्यम से वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों द्वारा प्राप्त की जानी होगी।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 19.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 2478 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

****

व्यस्ततम समय के दौरान सीजीएस से विद्युत का आबंटन

(आंकड़े मेगावाट में)

राज्य	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2011के अनुसार	31.03.2012	28.02.2013
चंडीगढ़	163	198	204	214
दिल्ली	3543	4245	3897	4101
हरियाणा	1712	1926	1945	2228
हिमाचल प्रदेश	1120	1140	1156	1225
जम्मू कश्मीर	1732	1575	1604	1882
पंजाब	1980	2021	2045	2114
राजस्थान	2080	2234	2374	2753
उत्तर प्रदेश	5070	5391	5520	5788
उत्तराखंड	740	738	796	848
गुजरात	2539	2588	2768	3128
मध्य प्रदेश	2268	2444	2553	4295
छत्तीसगढ़	551	701	805	1064
महाराष्ट्र	3433	3634	3853	6396
गोवा	453	437	444	480
दमन एवं दीव	239	155	164	311
दादर नागर हवेली	505	531	567	848
आंध्रप्रदेश	3006	2768	3306	3676
कर्नाटक	1508	1500	1672	1810
तमिलनाडु	3258	3329	3282	3766
केरल	1211	1296	1626	1633
पुडुचेरी	321	386	394	396
बिहार	1662	1662	1742	1805
झारखंड	551	551	526	565
ओडिशा	1544	1544	1544	1700
प. बंगाल	1225	1225	1225	1403
सिक्किम	149	149	149	150
अरूणाचल प्रदेश	129	139	134	134
असम	821	811	721	746
मणिपुर	123	123	123	123
मेघालय	202	212	212	212
मिजोरम	66	76	74	74
नागालैंड	78	88	80	80
त्रिपुरा	110	105	105	105

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2479
जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

महाराष्ट्र में कोराडी और खापरखेड़ा ताप बिजलीघरों से निकल रहे फ्लाई ऐश का हवा में फैलना

†**2479. श्री मोती लाल वोराः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों से महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र स्थित कोराडी और खापरखेड़ा ताप बिजलीघर से निकल रहे फ्लाई ऐश 26 से अधिक गांवों में हवा में फैल रहे हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य और फसल बर्बाद हो रही है;

(ख) क्या कोराडी बिजलीघर की यूनिट नं॰ 6 में ऐश बैक फिल्टर लगाया गया था जो काम नहीं कर रहा है;

(ग) क्या बिजलीघर प्रबंधन ने महाजेनको मुख्यालय को 3,000 ऐश बैग की मांग की थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराये गये; और

(घ) यदि हां, तो लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सूचित किया है कि खापरखेड़ा ताप विद्युत केन्द्र (टीपीएस) में सस्पेन्डेड पर्टिकुलेर मैटर (एसपीएम) का रख-रखाव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के भीतर किया जाता है । तथापि, कोराडी टीपीएस में एसपीएम का स्तर निर्धारित मानक से अधिक है ।

(ख) : कोराडी टीपीएस की यूनिट-6 में क्षतिग्रस्त बैगों के स्थान पर दिसंबर, 2012 में 500 नए बैग्स संस्थापित किए गए हैं ।

(ग) : कोराडी टीपीएस ने महाजेनको मुख्यालय से 8000 बैग्स की मांग की है जिसमें बैग्स के पूर्ण प्रतिस्थापन (अर्थात 8000 बैग्स) के प्रस्ताव का समर्थन किया गया है ।

(घ) : कोराडी टीपीएस ने उत्सर्जन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

I. यूनिट 5 के बैग फिल्टर सिस्टम में बैग्स का पूर्ण प्रतिस्थापन (सं. 7500) नवम्बर, 2012 में पूरा कर लिया गया है ।

II. यूनिट 6 के लिए मार्च, 2013 तक बैग का पूर्ण प्रतिस्थापन होने की संभावना है ।

III. इलेक्ट्रोस्ट्रेटिक प्रेसीपिटेटर्स (ईएसपी) के उन्नयन का कार्य जून, 2013 में पूरा किए जाने की संभावना है ।

II. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मानकों को प्राप्त करने के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कार्य योजना प्रस्तुत कर दी गई है ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2480

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

हरियाणा में बन्द पड़ी विद्युत संयंत्र इकाइयां

2480. श्री कनवर दीप सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में कई विद्युत संयंत्र इकाइयां बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इकाई–वार उनके बंद होने के कारणों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन सभी इकाइयों की वास्तविक स्थिति क्या है;

(घ) क्या बिजली घरों में त्रुटिपूर्ण और खराब उपकरण और कोयले की पर्याप्त उपलब्धता न होना इन इकाइयों के बन्द होने के कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो उस समस्या का समाधन करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) दिनांक 13.03.2013 के अनुसार, हरियाणा में स्थित विद्युत संयंत्रों की प्रचालनात्मक स्थिति का यूनिट-वार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

विद्युत केंद्र	यूनिट सं.	प्रचालानात्मक स्थिति	बंदी तिथि	बंदी के कारण
पानीपत टीपीएस				
यूनिट	1	प्रचालनात्मक		
यूनिट	2	प्रचालन में नहीं है	17/01/2013	कम मांग
यूनिट	3	प्रचालनात्मक		
यूनिट	4	प्रचालन में नहीं है	03/02/2013	कम मांग
यूनिट	5	प्रचालनात्मक		
यूनिट	6	प्रचालनात्मक		
यूनिट	7	प्रचालनात्मक		
यूनिट	8	प्रचालनात्मक		
राजीव गांधी टीपीएस				
यूनिट	**1**	**प्रचालन में नहीं है**	05/02/2013	वार्षिक रख-रखाव
यूनिट	**2**	**प्रचालन में नहीं है**	20/02/2013	वार्षिक रख-रखाव

यमुना नगर टीपीएस				
यूनिट	1	प्रचालनात्मक		
यूनिट	2	प्रचालन में नहीं है	27/02/2013	उपकरण मरम्मत और रख-रखाव के अधीन
महात्मा गांधी टीपीएस				
यूनिट	1	प्रचालनात्मक		
यूनिट	2	प्रचालन में नहीं है	22/02/2013	कोयले की कमी
इंदिरा गांधी एसटीपीपी				
यूनिट	1	प्रचालन में नहीं है	25/01/2013	कम मांग
यूनिट	2	प्रचालनात्मक		
यूनिट	3	प्रचालनात्मक		
फरीदाबाद सीसीपीपी				
यूनिट	1	प्रचालन में नहीं है	21.02.2013	गैस की कमी
यूनिट	2	प्रचालनात्मक		
यूनिट	3	प्रचालनात्मक		

हरियाणा में महात्मा गांधी राज्य ताप संयंत्र यूनिट-2 के मामले में मुख्यतः कम मांग, गैस की कम उपलब्धता, रख-रखाव कार्यों और कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण यूनिटें बंद हैं।

(घ) वर्तमान में हरियाणा में दोषपूर्ण और खराब उपस्कर के कारण कोई भी यूनिट बंद नहीं हुई है। कोयले की कमी के कारण 660 मेगावाट क्षमता की महात्मा गांधी टीपीएस, यूनिट # 1 बंद है।

(ड) भारत सरकार द्वारा कोयले की सुचारू रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(i) कोयला मंत्रालय/कोल इण्डिया लिमिटेड ने हरियाणा स्थित स्टेशनों सहित ताप विद्युत केंद्रों को आपूर्ति के लिए घरेलू कोयले के उत्पादन को बढ़ाने हेतु जोर दिया है।

(ii) विद्युत यूटिलिटी को कोयले की मांग और घरेलू स्रोतों से इसकी उपलब्धता के बीच की कमी को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है।

(iii) अवसंरचना अवरोध समीक्षा समिति द्वारा क्रिटिकल विद्युत संयंत्रों के मामले की जांच करने के लिए संयुक्त सचिव (एलए), कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में एक अंतरमंत्रालयी उपसमूह का गठन किया गया है जिसमें विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सीआईएल के सदस्य शामिल हैं। यह उपसमूह हरियाणा में स्थित संयंत्रों सहित विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने और कोयले आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक सप्ताह बैठक करता है।

....